भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 277 का उत्तर

पंजाब और बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य

277. श्री अनुराग शर्मा:
श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना का ब्यौरा क्या है जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, संवहनीय और सुलभ स्थानों में परिवर्तित करके उनका पुनरुद्धार करना है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत उक्त स्टेशनों पर प्लेटफार्मों, यात्री सुविधाएं या डिजिटल सेवाओं जैसे प्राथमिकता वाले किस प्रकार के उन्नयन किए जाएंगे;
(ग) उन विशिष्ट स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और इन सुधारों से यात्रियों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हुआ है;
(घ) क्या उक्त योजना के तहत पंजाब और बिहार में रेलवे स्टेशनों के लिए सरकार द्वारा कोई पुनर्विकास कार्यकलाप शुरू किए गए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा/लक्ष्य की तारीख और बजट निर्धारित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

पंजाब और बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री अनुराग शर्मा, श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल के अतारांकित प्रश्न सं. 277 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लैटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना करती है।

अब तक, इस योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 30 स्टेशन पंजाब राज्य में और 98 स्टेशन बिहार राज्य में स्थित हैं। पंजाब और बिहार राज्यों में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पंजाब	(30)	अबोहर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, ब्यास, भटिंडा जंक्शन, ढंडारी कलां, धुरी, फाजिलका, फिरोजपुर कैंट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर कैंट, जालंधर सिटी, कपूरथला, कोटकपुरा, लुधियाना, मालेरकोटला, मनसा, मोगा, मुक्तसर, नांगल डैम, पठानकोट कैंट, पठानकोट सिटी, पटियाला, फगवाड़ा, फिल्लौर, रूप नगर, संगरूर, एसएएसएन मोहाली, सरहिंद

S.K

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
बिहार	(86)	अनुग्रह नारायण रोड, आरा, बख्तियारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बड़हिया, बरौनी, बाढ़, बरसोई जंक्शन, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहार शरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज, बक्सर, चौसा, छपरा, दलसिंह सराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी-ऑन-सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गौती, फतुहा, गया, घोड़ासहन, गुरारू, हाजीपुर जंक्शन, जमालपुर, जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, झंझारपुर, कहलगांव, करागोला रोड, कटिहार, खगड़िया जंक्शन, किशनगंज, कुदरा, लाभा, लहेरिया सराय, लक्खीसराय, लखीमिनिया, मधुबनी, महेश खुंट, मैरवा, मानसी जंक्शन, मोकामा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नबीनगर रोड, नरकटियागंज, नौगछिया, पहाड़पुर, पाटलिपुत्र, पटना, पीरो, पीरपैंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेंद्र नगर, राजगीर, राम दयालु नगर, रक्सौल, सबौर, सगौली, सहरसा, साहिबपुर कमल, सकरी, सलौना, सलमारी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर जं., सुल्तानगंज, सुपौल, तरेगना, ठाकुरगंज, थावे, अररिया कोर्ट, चकिया, नवादा, मोतीपुर, एकमा, मशरख

स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के आबंटन का ब्यौरे योजना शीर्ष 53 'ग्राहक सुविधाएं' में रखे जाते हैं। पंजाब राज्य दो जोनों अर्थात् उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा कवर होता है। इन जोनों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आबंटन 4196.55 करोड़ रुपये है।

बिहार राज्य चार जोनों अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा कवर होता है। इन जोनों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आबंटन 2166.36 करोड़ रुपये है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर

केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

****

S.K